राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4617/2024

नम्रता सिंह –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयुपर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, धावास, झोटवाड़ा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.12.2024
आदेश की दिनांक : 27.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1)के जारी आदेश को इस अपील में चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में इस तथ्य पर विचार किए बिना दूर के स्थान पर नियुक्ति दी गई थी कि पदस्थापित स्थान के निकट शिक्षक ग्रेड III लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के पद रिक्त पड़े हैं। अपीलार्थी बीएलओ के रूप में तैनात है और उसका स्थानांतरण चुनाव विभाग की पूर्व सहमति के बिना किया गया था। अपीलार्थी का नाम आदेश में क्रम संख्या 29 पर रखा है। अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, धावास, झोटवाड़ा, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानपुर सडवा, झोटवाड़ा, जयपुर में स्थानांतरित किया गया था और प्रत्यर्थी विभाग ने काउंसलिंग किए बिना अपीलार्थी का ब्लॉक अवैध रूप से बदल दिया है। (अनुलग्नक–1) दिनांक 07.12.2024 के आलौच्य आदेश के अनुपालना में अपीलार्थी को बीएलओ का प्रभार संभालने के बावजूद दिनांक 26.12.2024 के आदेश द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.11.2024 को आदेश जारी किया, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों को अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। प्रत्यर्थी विभाग ने काउंसलिंग आयोजित किए बिना ही नियुक्तिा का आलौच्य आदेश जारी कर दिया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्ण इरादे से अवैध रूप से अधिशेष घोषित करके नियुक्त किया

गया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड ııı लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 07.12.2024 के आदेश के तहत प्रतिबंध अवधि में अपीलार्थी की नियुक्ति का स्थान अवैध रूप से बदल दिया और अपीलार्थी को अवैध रूप से अधिशेष घोषित कर दिया, जबकि अपीलार्थी सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार है। दिनांक 29.10.2024 से 06.01.2025 तक स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध था एवं आदेश दिनांक 08.10.2024 (अनुलग्नक–4) के अनुसार निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से स्थानान्तरण किया जा सकता था। निकटवर्ती स्थानों में शिक्षक ग्रेड ııı लेवल 2 सामाजिक विज्ञान का पद 07.12.2024 से रिक्त पड़ा है, इसके बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने अभ्यावेदन पर विचार किए बिना अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर तैनात कर दिया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) एवं आलौच्य कार्यमुक्त आदेश दिनांक 26.12.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, धावास, झोटवाड़ा, जयपुर में अध्यापक ग्रेड ııı लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के पद पर निरतंर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर अध्यापक लेवल–2 सामाजिक विज्ञान के पद पर दिनांक 02.07.2008 से अनवरत (लगभग 16 वर्ष से अधिक समय) कार्यरत है। अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान पूर्व में उच्च प्राथमिक स्तर तक संचालित विद्यालय था जिसको राज्य सरकार के आदेशानुसार महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय में रूपान्तरित किया गया है। निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 14.11.2024 के बिन्दू संख्या 01 पदों का निर्धारण के उप बिन्दू 01 में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि राज्य सरकार के दिशा–निर्देश क्रमांक व.04 (15) शिक्षा–1/2019 जयपुर दिनांक 14.06.2019 (अनुलग्नक आर–1) के प्रावधानुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्वीकृत माने जाने है, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो या शाला दर्पण पोर्टल पर अप्रदर्शित हो। उक्त आदेश दिनांक 14.06.2019 के अनुसार महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में अध्यापक लेवल–2 के दो पद (अंग्रेजी एवं गणित) ही स्वीकृत माने जाने है तथा अपीलार्थी का पद अध्यापक लेवल–2 सामाजिक विज्ञान को महात्मा गांधी विद्यालयों में स्वीकृत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पद स्वीकृत नहीं होने के कारण अधिशेष कार्यरत थी तथा अपीलार्थी कार्मिक को स्वीकृत पद के अनुसार ही आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 के द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासनिक आवश्यकता में समान ब्लॉक में ही स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा

महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु कैडर विद ईन कैडर (Cadre within Cadre) का निर्माण किया गया है। इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभाग में पूर्व से हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का साक्षात्कार/विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाकर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन किया जाता। अपीलार्थी कार्मिक महात्मा गांधी विद्यालय हेतु चयनित भी नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को नियमानुसार समायोजित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील में यह भी वर्णित किया गया है कि उक्त आदेश स्थानांतरण पर प्रतिबन्ध की अवधि में बिना समक्ष अनुमति के पारित किया गया है साथ ही यह भी वर्णित किया गया है कि अपीलार्थी बीएलओ के रूप में कार्यरत है तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.10.2024 के द्वारा बीएलओ आदि के स्थानांतरण पर दिनांक 29.10.2024 से दिनांक 06.01.2025 तक प्रतिबन्ध है। इस सन्दर्भ में माननीय अधिकरण के समक्ष प्रकट किया जाना उचित होगा कि बीएलओ के स्थानांतरण पर प्रतिबन्ध की उक्त अवधि दिनांक 06.01.2025 व्यतीत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त माननीय अधिकरण के समक्ष यह भी वर्णित किया जाना उचित होगा कि अपीलार्थी का पूर्व पदस्थापन स्थान झोटवाडा शहर ब्लॉक में है तथा अपीलार्थी का वर्तमान समायोजन पर प्रदान किया गया पदस्थान स्थान भी झोटवाडा शहर में ही है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कार्मिक को समान ब्लॉक में ही स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया गया है। जिससे अपीलार्थी का बीएलओ संबंधित कार्य भी प्रभावित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा वांछित अनुतोष के संबंध में माननीय अधिकरण के समक्ष स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि स्थानांतरण/समायोजन पूर्णतया प्रशासनिक कार्य है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति अपील (सिविल) 36717/2017 नम्रता वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 06.09. 2021 में निम्नानुसार अभिमत प्रदान करते हुए विशेष अनुमति याचिका को खारिज/अस्वीकार किया गया है :-

"It is not for the employee to insist to transfer him/her and/or not to transfer him/her at a particular place. It is for the employer to transfer an employee considering the requirement.

The Special Leave Petition is dismissed. "

(अनुलग्नक आर -2) अतः प्रस्तुत अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अभिगत के आधार पर ही खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर.1991 एस.सी.532) के निर्णय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer order are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or

the other, he is Liable to be transferred from one place to the other, Transfer orders issued by the compentent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer order is passed in violation of executive instructions or orders, the Courts ordinarily should not interfere with the order instead affected party should approach the higher authourities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer orders issued by the Government and its subordinate authourities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."

अतः प्रस्तुत अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस प्रकरण में पारित अभिमत के आधार पर भी खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के पूर्व पदस्थापन स्थान पर अपीलार्थी कार्मिक के अधिशेष होने के कारण आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी कार्मिक को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुर सडवा, ब्लॉक झोटवाडा शहर में पदस्थापित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी कार्मिक माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश कों इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है एवं निकट विद्यालयों में पद रिक्त होने के बावजूद दूर स्थान पर पदस्थापन किया गया है। अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि बिना किसी काउंसलिंग के अपीलार्थी का ब्लॉक परिवर्तित किया गया है, जो नियम के विरूद्ध है। अपीलार्थी वर्तमान में निवार्चन विभाग द्वारा बीएलओ के पद पर कार्य कर रही है। एवं निर्वाचन विभाग के पूर्व स्वीकृति के बिना स्थानान्तरण किया गया है।

हम यह पाते है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन विद्यालय में अपनी प्रथम नियुक्ति वर्ष जुलाई 2008 से अर्थात 16 वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कर्मचारियों अधिशेष किये जाने के संबंध में आदेश दिनांक 14.11.2024 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए है। अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 2 सामाजिक विज्ञाग के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के पदस्थापन विद्यालय का राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरण किया गया है। अपीलार्थी महात्मा गांधी विद्यालय हेतु चयनित नहीं है। आदेश दिनांक 14.06.2019 द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अध्यापक लेवल 2 के 2 पद अंग्रेजी और गणित के ही स्वीकृत माने गये है। लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान के पद महात्मा गांधी विद्यालयों में स्वीकृत नहीं है। इस कारण अपीलार्थी को अधिशेष कर राज्य सरकार के निर्देश एवं प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया गया है। अतः अपीलार्थी को अधिशेष

किया जाना नियम संगत है। महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु केडर विद इन केडर (Cadre within Cadre) हेतु अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 जारी की गई है। जिसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाकर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन किया जाता है। अपीलार्थी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित नहीं होने के कारण उसे अन्य निद्यालय में स्वीकृत पद पर पदस्थपित नियुमानुसार किया जाना पाया जाता है। अपीलार्थी ने बीएलओ नियुक्त होने के आधार पर भी आलौच्य आदेश को चुनौती दी गई। वर्तमान में बीएलओ का कार्य सम्पन्न हो जाने से हम इस तर्क में कोई बल नहीं पाते है।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में मुख्यतः दो आधारों पर आलौच्य आदेश को चुनौती दी गई कि प्रथम उसका ब्लॉक परिवर्तन कर दिया। द्वितीय निकट के विद्यालयों में पद रिक्त होने के बावजूद उसे दूर पदस्थापित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दोनों आधार मिथ्यापूर्ण एवं असत्य है। अपीलार्थी को झोटवाड़ा शहर ब्लॉक में ही पदस्थापित किया गया है उसका ब्लॉक नहीं बदला गया है एवं अपीलार्थी ने निकट के विद्यालयों में स्वीकृत/रिक्त पदों की कोई सूची प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह माना जा सके कि उसे पदस्थापित नहीं कर सड़वा में पदस्थापित किया गया। अतः यह हिदायत दी जाती है कि मिथ्या एवं असत्य तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं की जावे।

प्रस्तुत अपील में कोई सार एवं बल नहीं होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य